भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या **4155**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरकों की संवहनीयता**

**4155. डॉ. नामदेव किरसान:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किसानों के लिए उर्वरकों को वहनीय बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मिट्टी और पौधों पर रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा देश में सभी रासायनिक उर्वरकों को चरणबद्ध ढंग से बंद करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

---

**(क) और (ख):** फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के मामले में सरकार ने 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस एनबीएस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा जिसमे डाईअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) शामिल है, के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों द्वारा एमआरपी बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और एनबीएस स्कीम के अंतर्गत कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करने की पहलें करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अलावा, किसानों को वहनीय मूल्यों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं। हाल ही में वर्ष 2024-25 में भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर उर्वरक कंपनियों द्वारा डीएपी की खरीद की व्यवहार्यता पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण, सरकार ने किसानों को वहनीय कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹ 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ

सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित एमआरपी की तर्कसंगतता के मूल्यांकन संबंधी दिशा-निर्देश भी किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर) है और एमआरपी 01.03.2018 से अब तक अपरिवर्तित रहे हैं। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

**(ग) और (घ):** "दीर्घावधिक उर्वरक प्रयोग" संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने प्रमुख फसल प्रणालियों के तहत विभिन्न मृदा प्रकारों (नियत स्थल) में रासायनिक उर्वरकों के दीर्घावधिक उपयोग के प्रभाव का आकलन किया है। नियत स्थलों पर पांच दशकों से की गई जांचों से पता चला है कि संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग के साथ मृदा उर्वरता पर रासायनिक उर्वरकों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के साथ-साथ आर्गेनिक सामग्री के कम उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में गिरावट की तुलना में बहु-पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा और फसल उत्पादकता में अन्य पोषक तत्वों की कमी दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में की गई जांच से पता चला है कि एनपीके उर्वरित प्रणाली में भी सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की कमी के संदर्भ में पोषण संबंधी विकार कुछ वर्षों के बाद सामने आए हैं जिससे मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता प्रभावित हुई है। फसल उपज में सबसे अधिक गिरावट केवल यूरिया प्राप्त करने वाले प्लाट में देखी गई। ड्रिप सिंचाई (फर्टिगेशन) के मामले में, उच्च जल और पोषक तत्व उपयोग क्षमता के कारण कम पानी और उर्वरकों की कम मात्रा के साथ तुलनीय फसल उपज प्राप्त की जा सकती है।

आईसीएआर रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और जैविक स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक, आदि) दोनों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश करता है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, एफएलडी आदि आयोजित करता है। ये सभी उपाय देश में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करते हैं।

भारत सरकार ने गोबरधन पहल, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) समर्थन स्कीमें/कार्यक्रम जैसे कि एमओपीएनजी की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) स्कीम, एमएनआरई का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आदि शामिल है, के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात, संयंत्रों में उत्पादित किण्वित आर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित आर्गेनिक खाद (एलएफओएम)/फॉस्फेटयुक्त समृद्ध आर्गेनिक खाद (पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है जिसमें रिसर्च गैप फडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये की कार्पस निधि शामिल है।

********